




**भारतीय जीवन बीमा निगम**  
**LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA**  
 (जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)  
 (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)  
 पंजीकरण संख्या: 512 / Registration Number: 512



एलआईसी की जीवन शांति – एक एकल प्रीमियम असंबद्ध, लाभरहित, वार्षिकी प्लान

**LIC'S JEEVAN SHANTI - A Non-Linked, Non-Participating, Single Premium Annuity Plan.**  
**यूआईएन / UIN : 512N328V01**

<b>भाग – A</b>	<b>PART – A</b>
संदर्भ: एनबी	Ref: NB
(शाखा कार्यालय)	(Branch Office):
_____	_____
_____	_____
दिनांक:	Date:
_____	_____
_____	_____
_____	_____

प्रिय पॉलिसीधारक,

**विषय: आपकी पॉलिसी सं** \_\_\_\_\_

हम सहर्ष इसके साथ उपर्युक्त पॉलिसी दस्तावेज प्रेषित करते हैं। कृपया देखें कि यह ठीक है।

हम पॉलिसी की अनुसूची में उल्लिखित सूचना और पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध लाभों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

हमारे कुछ प्लानों के अंतर्गत कुछ विकल्प उपलब्ध हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस प्लान के अंतर्गत उपलब्ध और पॉलिसी दस्तावेज में उल्लिखित विकल्पों, यदि कोई हों, को ध्यानपूर्वक नोट किया जाए क्योंकि यदि आप उपलब्ध किसी विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लें तो यह आपके लिए सहायक होगा। यह नोट करना भी आवश्यक है कि ऐसा विकल्प यदि उपलब्ध है और इस प्लान के दस्तावेज में उल्लिखित है, तो उसका उपयोग सही तरीके से तथा उसमें निर्धारित समय-सीमा के दौरान करना होगा।

**फ्री लुक अवधि**

आपसे हमारा अनुरोध है कि आप पॉलिसी की शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा यदि आप किसी भी शर्त से सहमत नहीं हैं, तो आप अपनी आपत्तियों और असहमति के कारण बताते हुए पॉलिसी दस्तावेज की प्रामि की तारीख से 15 दिन (यदि यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई हो तो 30 दिन) के अंदर पॉलिसी लौटा सकती हैं। पॉलिसी प्राप्त होने पर हम उसे निरस्त करेंगे तथा आपके द्वारा जमा की गई प्रीमियम की राशि उसमें से स्टाम्प शुल्क और प्रदत्त वार्षिकी, यदि कोई हो, को घटाकर आपको वापस की जाएगी।

हम निम्नलिखित पहलुओं की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं :

- 1) पते में परिवर्तन: यदि आप अपना आवास बदलते/बदलती हैं, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप सर्विसिंग शाखा कार्यालय को पते में परिवर्तन की सूचना दें।
- 2) समनुदेशन: समनुदेशन समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के उपबंधों के अनुसार होना चाहिए। धारा 38 के वर्तमान उपबंध संदर्भ के लिए अनुबंध-ख में संलग्न हैं।
- 3) नामांकन: नामांकन समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के उपबंधों के अनुसार होना चाहिए। धारा 39 के वर्तमान उपबंध संदर्भ के लिए अनुबंध-ख में संलग्न हैं।
- 4) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45: इसके वर्तमान उपबंध अनुबंध-III में संलग्न हैं।
- 5) कृपया एलआईसी की ई-सेवाओं का लाभ उठाएँ। हमारी वेबसाइट: [www.licindia.in](http://www.licindia.in) का अवलोकन करें जिससे हम आपकी बेहतर सेवा कर सकें।

यदि आप इस पॉलिसी दस्तावेज में कोई त्रुटियाँ पाते/ पाती हैं, तो आप सुधार के लिए यह पॉलिसी वापस भेज सकते हैं।

धन्यवाद सहित,

भवदीय,

कृते मुख्य/वरिष्ठ शाखा प्रबंधक

Dear Policyholder,

Re: Your Policy No. \_\_\_\_\_

We have pleasure in forwarding herewith the above policy document which please find in order.

We would also like to draw your kind attention to the information mentioned in the Schedule of the Policy and the benefits available under the Policy.

Some of our plans have certain options available under them. It is important that the options, if any, available under this plan and mentioned in the Policy Document are noted carefully as it will be helpful to you, in case you decide to exercise any of the available options. It is also essential to note that such option, if available and mentioned in the document of this plan has to be exercised in the right manner and during the stipulated time limit as prescribed herein.

**Free Look Period**

We would request you to go through the terms and conditions of the Policy and in case you disagree with any of the terms and conditions, you may return the Policy within a period of 15 days (30 days if this policy is purchased online) from the date of receipt of policy document stating the reasons of your objections and disagreement. On receipt of the policy we shall cancel the same and the amount of premium deposited by you shall be refunded to you after deducting the charges for stamp duty and Annuity paid (if any).

We would also like to draw your attention to the following aspects:

- 1) Change of Address: In case you change your residence, kindly ensure that you inform the change in address to the servicing Branch Office.
- 2) Assignment: Assignment should be in accordance with the provisions of Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 38 are enclosed as Annexure- I for reference.
- 3) Nomination: Nomination should be in accordance with provision of Section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are enclosed in Annexure –II for reference.
- 4) Section 45 of Insurance Act, 1938: The current provisions of the same are enclosed in Annexure –III.

Please avail LIC's e-services. Visit our website: [www.licindia.in](http://www.licindia.in) to enable us to serve you better.

If you find any errors in this document, you may return this Policy for corrections.

Thanking you.

Yours faithfully,

p. Chief/Sr./Branch Manager



**नोट :** अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत निवारण अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क कर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है।  
 NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer / Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता /Address of Branch Office:

शिकायत निवारण अधिकारी का पता /  
 Address of Grievance Redressal Officer:

बीमा लोकपाल का पता  
 Address of Insurance Ombudsman:

**नोट :** इस नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।  
 NOTE: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions / conditions the English version shall stand valid

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या : 512  
 IRDAI Regn. No.: 512



**भाग – A (जारी) / PART – A (Contd.)**

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे यहाँ बाद में “निगम” कहा गया है) ने एलआईसी की जीवन शांति के अंतर्गत वार्षिकी खरीदने के लिए एक प्रस्ताव और घोषणा-पत्र प्राप्त किया है तथा उपर्युक्त प्रस्ताव और घोषणा-पत्र उनमें निहित और उल्लिखित वक्तव्यों के साथ, जिनसे इसमें नीचे संदर्भित अनुसूची में दर्ज नाम के युक्त प्रस्तावक और वार्षिकीग्राही (वार्षिकीग्राहियों) ने सहमति दी है, इस वार्षिकी संविदा का आधार होंगे और इसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है एवं निगम ने एक वार्षिकी राशि के लिए क्रय मूल्य उपर्युक्त अनुसूची में उल्लिखित शर्तों पर प्राप्त किया है।

अब यह पॉलिसी प्रमाणित करती है कि प्रदत्त क्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए निगम उस कार्यालय में जहाँ इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है अथवा अपने किसी अन्य कार्यालय में उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिकी और मृत्यु-लाभ (यदि देय हो) का भुगतान किसी ब्याज के बिना उस व्यक्ति / उन व्यक्तियों को जिसे / जिन्हें उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार वह देय हो, निगम को प्रत्येक वार्षिकी भुगतान के संबंध में इस बात का कि प्रश्नगत वार्षिकी भुगतान देय हो गया है तथा उस घटना के घटित होने के संबंध में भी जिस पर इस पॉलिसी में निर्धारित रूप में मृत्यु-लाभ देय होनेवाला है, तथा वार्षिकी / मृत्यु-लाभ प्राप्त करने के लिए दावा करनेवाले व्यक्ति / व्यक्तियों के स्वत्वाधिकार के संबंध में भी संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा।

परंतु जहाँ वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी समाप्त होती है अथवा निश्चित की जाती है, वहाँ उपर्युक्त वार्षिकी का कोई भी भाग देय नहीं होगा अथवा ऐसे समय तक अदा किया जाएगा जो वार्षिकीग्राही की मृत्यु से तत्काल पूर्ववर्ती भुगतान की तारीख और उसकी मृत्यु के दिन के बीच व्यतीत हो सकता है, उस दिन जब उपर्युक्त वार्षिकी देय हो जाती है, बारह बजे वार्षिकीग्राही के जीवन की अवस्थिति समय-समय पर उस तरीके से विधिवत् प्रमाणित की जाए जैसे निगम अपेक्षा करता है।

और इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह पॉलिसी इसके पीछे मुद्रित की गई परिभाषाओं, लाभों, सेवा के पहलुओं से संबंधित शर्तों, अन्य शर्तों एवं इसके पीछे मुद्रित सांविधिक उपबंधों के अधीन होगी तथा निम्नलिखित अनुसूची और निगम द्वारा पॉलिसी पर रखा गया प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी के भाग के रूप में समझा जाएगा।

Whereas the LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called “the Corporation”) has received a Proposal and Declaration for the purchase of an Annuity under the “LIC’s Jeevan Shanti” and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein, which the Proposer and Annuitant(s) named in the Schedule referred to herein below has agreed shall be and are hereby declared to be the basis of this Annuity Contract and has received the Purchase Price for an Annuity amount and on the terms stated in the said Schedule.

Now this Policy Witnesseth that in consideration of the Purchase Price paid, the Corporation will pay either at its office where this policy is serviced or at some of its other office, the annuity as specified in the said Schedule and Death Benefit (if payable), but without interest, to the person/persons to whom the same is / are therein expressed to be payable upon proof to the satisfaction of the Corporation being furnished, in respect of each annuity payment, that the annuity payment in question has become payable and also in respect of the happening of the event on which the Death Benefit is to become payable as set out in this Policy Document and the title of the person/persons claiming to receive the annuity /Death Benefit.

But where the annuity ceases or determines on the death of the annuitant, no part of the said Annuity shall be payable or paid for such time as may elapse between the date of payment immediately preceding the death of annuitant and the day of his/her death, the subsistence of life of the annuitant at twelve o’clock on the day on which the said annuity falls due being duly certified from time to time in such manner as the Corporation may require.

And it is hereby declared that this policy shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed to be part of the Policy.

मंडल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:	अनुसूची / SCHEDULE	शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:
पॉलिसी सं.: Policy No.:  पॉलिसी की आरंभ तिथि : Date of Commencement of Policy:  जोखिम के आरंभ होने की तिथि : Date of Commencement of Risk:  क्या आस्थगित / तात्कालिक वार्षिकी के लिए विकल्प दिया गया है : Whether Deferred/Immediate Annuity opted for:	प्लान सं. : Plan No.:  यूआईएन : UIN:  क्रय मूल्य (रुपये) : Purchase Price: (Rs.)  गारंटीकृत परिवर्धन प्रति माह : Guaranteed Additions per month :	वार्षिकी के भुगतान की राशि (रुपये) : Amount of annuity payment: (Rs.)  वार्षिकी के भुगतान की पद्धति : Mode of payment of annuity:  प्रथम वार्षिकी के भुगतान की तिथि : Date of 1 <sup>st</sup> annuity payment:  नियत तिथि : Due date:
आस्थगित वार्षिकी के लिए : For Deferred Annuity:	आस्थगन अवधि : Deferment Period:	निहित करने की तिथि : Date of Vesting:
चुना गया वार्षिकी विकल्प / Annuity Option Chosen :		
प्रस्तावक का नाम और पता: /Name and Address of Proposer:		प्रस्ताव सं.: / Proposal No.:  प्रस्ताव की तिथि: /Date of proposal:  पॉलिसी के निर्गम की तिथि: /Date of issuance of policy:  वार्षिकीग्राही / प्राथमिक वार्षिकीग्राही की जन्मतिथि: Date of Birth of Annuitant / Primary Annuitant  वार्षिकीग्राही / प्राथमिक वार्षिकीग्राही की आयु: Age of the Annuitant/Primary Annuitant:  द्वितीयक वार्षिकीग्राही की जन्मतिथि: Date of Birth of Secondary Annuitant:  द्वितीयक वार्षिकीग्राही की आयु: Age of Secondary Annuitant:
वार्षिकीग्राही / प्राथमिक वार्षिकीग्राही का नाम और पता: Name and Address of Annuitant/Primary Annuitant:		क्या वार्षिकीग्राही / प्राथमिक वार्षिकीग्राही / द्वितीयक वार्षिकीग्राही की आयु स्वीकृत है: Whether age admitted of Annuitant/Primary Annuitant: Secondary Annuitant:
द्वितीयक वार्षिकीग्राही का नाम और पता: Name and Address of Secondary Annuitant:		

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन नामित व्यक्ति का (व्यक्तियों के) नाम तथा उनका प्रतिशत अंश:  
 Name of Nominee(s) under Section 39 of the Insurance Act, 1938 and their percentage share:

नामित व्यक्ति(यों) की आयु और उनका संबंध: / Age of Nominee(s) and Relationship:

यदि नामित व्यक्ति अवयस्क / विकलांग आश्रित है अथवा यदि विकलांग आश्रित द्वितीयक वार्षिकीग्राही है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम:  
 If Nominee is a minor/handicapped dependent or If handicapped dependent is secondary Annuitant, the name of the Appointee:

**लाभार्थी जिसे हितलाभ देय है / Beneficiary to whom Benefits payable :**  
 वार्षिकीग्राही / प्राथमिक वार्षिकीग्राही या उत्तरजीवी के रूप में उल्लिखित उसके द्वितीयक वार्षिकीग्राही या बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अंतर्गत उसका समनुदेशित अथवा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन नामिती या वार्षिकीग्राही के प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या अन्य वैधानिक प्रतिनिधि जिन्हें उसकी संपदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशियों के लिए भारत के किसी राज्य अथवा संघशासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जैसा लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।  
 To the Annuitant/Primary Annuitant or surviving named Secondary Annuitant or his Assignee under Section 38 of the Insurance Act, 1938 or Nominees under Section 39 of the Insurance Act 1938 or Proved Executors or Administrators or other legal representatives of the Annuitant who should take out representation to his / her estate or limited to the monies payable under this policy from any court of any State or territory of the Union of India, as applicable.

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता और ई-मेल आईडी अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्रादि भेजे जाने चाहिए।  
 Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned branch office whose address and e-mail ID are given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक: /Date:  
 जाँचकर्ता: /Examined by:  
 फार्म सं.: /Form No.:

कृते मुख्य / वरिष्ठ शाखा प्रबंधक/ p. Chief/Sr./Branch Manager

एजेंसी कोड / Agency Code	एजेंसी का नाम / Agency Name	एजेंट का मोबाइल नंबर / लैंडलाइन नंबर / Agent's Mobile Number/ Landline Number

## भाग – B : परिभाषाएँ

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों / शब्दावली की परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं :

1. **आयु** से आशय पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख को वार्षिकीग्राही (वार्षिकीग्राहियों) के पिछले जन्म-दिन की आयु का है।
2. **वार्षिकीग्राही** वह व्यक्ति है/ वे व्यक्ति हैं जिसके/जिनके जीवन पर यह पॉलिसी ली गई है तथा जो पॉलिसी अनुसूची में बताये गये रूप में वार्षिकी लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होगा/होंगे।
3. **वार्षिकी** से अनुसूची में उल्लिखित रूप में विनिर्दिष्ट नियमित अंतरालों पर इस पॉलिसी के अंतर्गत देय तथा पॉलिसी की अनुसूची में प्रमाणित रूप में वार्षिकीग्राही द्वारा चुने गये विकल्प के अंतर्गत विनिर्देश के अनुसार देय विनिर्दिष्ट राशि अभिप्रेत है।
4. **नियुक्त व्यक्ति (अपाइटी)** वह व्यक्ति है जिसको पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित रखी गई आगम राशि / हितलाभ नामित व्यक्ति की ओर से देय है, यदि हितलाभ नामित व्यक्ति को देय बन जाते हैं और दावे के भुगतान की तारीख को नामित व्यक्ति अवयस्क है।
5. **निगम** से एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम अभिप्रेत है।
6. **पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख** यह पॉलिसी प्रारंभ होने की तारीख है।
7. **जोखिम के आरंभ होने की तारीख** से वह तारीख अभिप्रेत है जब निगम बीमा(रक्षा) हेतु पॉलिसी की अनुसूची में प्रमाणित किये गये अनुसार जोखिम को स्वीकार कर लेता है।
8. **पॉलिसी के निर्गम की तारीख** वह तारीख है जब जोखिम-अंकन के बाद प्रस्ताव को एक पॉलिसी के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा यह संविदा प्रभावी हो जाती है।
9. **निहित करने की तारीख** से पॉलिसी में विनिर्दिष्ट वह तारीख अभिप्रेत है जब आस्थगन अवधि समाप्त होती है तथा वार्षिकी के भुगतान के लिए चुनी गई पद्धति के अनुसार बकाया राशि के रूप में वार्षिकी देय होती है।
10. **मृत्यु-लाभ** से पॉलिसी के प्रारंभ में सहमति-प्राप्त वह लाभ अभिप्रेत है जो वार्षिकीग्राही (वार्षिकीग्राहियों) की मृत्यु होने पर देय है तथा जिसके बाद पॉलिसी के अंतर्गत विद्यमान शर्तों के अनुसार स्वीकार्य मृत्यु-लाभ के भुगतान के लिए देयता की सीमा को छोड़कर संविदा समाप्त हो जाती है।
11. **आस्थगन अवधि** वर्षों में वह अवधि है जो पॉलिसीधारक द्वारा चुने गये रूप में और अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में है तथा जो पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख से प्रारंभ होती है और निहित होने की तारीख तक रहती है।
12. **नियत तारीख** वह निश्चित तारीख है जब वार्षिकी देय और भुगतान-योग्य होती है।
13. **पृष्ठांकन** से निगम द्वारा किन्हीं सहमत अथवा जारी संशोधनों अथवा आशोधनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न की गई / जोड़ी गई शर्तें अभिप्रेत हैं।
14. **फ्री लुक अवधि** पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन (30 दिन यदि यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई हो) की अवधि है जो इस पॉलिसी के नियमों और शर्तों की समीक्षा करने के लिए है तथा जहाँ पॉलिसीधारक इनमें से किसी नियम अथवा शर्त से असहमत है तो उसके पास विकल्प है कि वह इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग D की शर्त 6 एवं 8 में दिये गए विवरण के अनुसार इस अवधि के अंदर यह पॉलिसी लौटा सकता / सकती है।
15. **गारंटीकृत अवधि** से संविदा के प्रारंभ में वार्षिकीग्राही द्वारा चुने गये वार्षिकी विकल्प में बताये गये अनुसार पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख से प्रारंभ होनेवाली अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए वार्षिकी देय होने के लिए गारंटीकृत है।
16. **विकलांग आश्रित** ऐसा व्यक्ति है, जो इस पॉलिसी दस्तावेज की भाग D की शर्त 9 के अंतर्गत परिभाषित विकलांग है, जो पॉलिसी दस्तावेज के तहत लाभार्थी है, प्राथमिक वार्षिकीग्राही/ वार्षिकीग्राही का रिश्तेदार है।
17. **आईआरडीएआई** से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है जो पूर्व में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) कहलाता था।
18. **संयुक्त जीवन वार्षिकी** प्राथमिक वार्षिकीग्राही और द्वितीयक वार्षिकीग्राही के जीवनो पर संयुक्त रूप से ली गई वार्षिकी पॉलिसी को निर्दिष्ट करती है। संयुक्त जीवन वार्षिकी परिवार के किसी वंशज/ पूर्वज (अर्थात् दादा/दादी/ नाना/नानी, माता/पिता, बच्चे, पोता/पोती/नाती/नातिन अथवा पत्नी/पति अथवा सहोदर भाई/बहन) के बीच ली जा सकती है।
19. **अवयस्क** वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
20. **विधि/पद्धति (मोड)** वार्षिकीग्राही द्वारा चुने गये रूप में वार्षिकी के भुगतान की बारंबारता को निर्दिष्ट करती है।
21. गारंटीकृत परिवर्धन की गणना के उद्देश्य के लिए **मासिक तालिकाकृत वार्षिकी दर** का मतलब है, मासिक भुगतान विधि के लिए लागू होनेवाली वार्षिकी दर जो किसीभी प्रोत्साहन या वार्षिकी दर में कमी के बीना लागू होती है।
22. **नामांकन** किसी व्यक्ति (किन्हीं व्यक्तियों) को नामित करने की प्रक्रिया है जिसे/ जिन्हें प्रस्ताव फार्म में "नामिती" कहा जाता है अथवा जिसे/ जिन्हें बाद में शामिल किया जाता है / पृष्ठांकन द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नामांकन समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के उपबंधों के अनुसार होना चाहिए।

## PART – B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the Policy Document are as under:

1. **Age** is the age last birthday of the Annuitant(s) on the date of commencement of the policy.
2. **Annuitant(s) being person(s)** on whose life this policy has been taken and who become entitled to receive the annuity benefits as stated in Policy Schedule.
3. **Annuity** means a specified amount payable under this policy at specified regular intervals as mentioned in the schedule and payable as per the specification under the option chosen by the annuitant as evidenced in the schedule of the policy.
4. **Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable on behalf of the nominee if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
5. **Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
6. **Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
7. **Date of commencement of Risk** is the date on which the Corporation accepts the risk for insurance (cover) as evidenced in the schedule of the Policy.
8. **Date of issuance of policy** is a date when a proposal after underwriting is accepted as a policy and this contract gets effected.
9. **Date of Vesting** means the date specified in Policy Schedule on which Deferment Period expires and the annuity becomes payable in arrears as per the mode chosen for annuity payment.
10. **Death Benefit** means the benefit, agreed at the inception of the policy, which is payable on the death of the Annuitant(s) and after which the contract terminates except to the extent of liability towards payment of admissible death benefit as per the term and conditions under the policy.
11. **Deferment Period** is the period, in years, as chosen by the policyholder and as specified in the Schedule, commencing from the Date of commencement of policy to the date of vesting.
12. **Due Date** means a fixed date on which the annuity is due and payable.
13. **Endorsement** means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
14. **Free Look Period** is the period of 15 days (30 days if this policy is purchased online) from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy as detailed in Condition 6 and 8 of Part D of this policy document.
15. **Guaranteed Period** means the period, beginning from the date of commencement of policy as stated in the annuity option chosen by the annuitant at the inception of the contract, for which the annuity is guaranteed to be payable.
16. **Handicapped dependant** is a Person with Disabilities (Divyangjan) defined under Condition 9 of Part D of this Policy document, who is the beneficiary under this policy and a relative of the Annuitant/ Primary annuitant.
17. **IRDAL** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
18. **Joint Life annuity** refers to an annuity policy taken jointly on the lives of Primary Annuitant and Secondary Annuitant. The joint life annuity can be taken between any lineal descendant/ascendant of the family (i.e. Grandparent, Parent, Children, Grandchildren) or spouse or siblings.
19. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.
20. **Mode** refers to the frequency of Annuity payment as chosen by the Annuitant.
21. **Monthly tabular annuity rate** for the purpose of calculating Guaranteed Additions means the annuity rate applicable for monthly mode without applying of any incentive or reduction in annuity rate.
22. **Nomination** is the process of nominating a person(s) who is (are) named as "Nominee(s)" in the proposal form or subsequently included/ changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.



D	तात्कालिक वार्षिकी 15 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए	एकल जीवन	वार्षिकी के भुगतान के लिए चुनी गई पद्धति के अनुसार, जब तक वार्षिकीग्राही जीवित है तब तक वार्षिकी के भुगतान बकाया राशि के रूप में किये जाएंगे।	<b>15 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के दौरान वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर:</b> वार्षिकी नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) को गारंटीकृत अवधि की समाप्ति तक देय होगी। गारंटीकृत अवधि की समाप्ति पर वार्षिकी के भुगतानों का तत्काल समापन होगा और पॉलिसी समाप्त होगी।  <b>गारंटीकृत अवधि के बाद वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर:</b> वार्षिकी के भुगतान का तत्काल समापन होगा और पॉलिसी समाप्त होगी।
E	तात्कालिक वार्षिकी 20 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ और उसके बाद जीवन भर के लिए	एकल जीवन	वार्षिकी के भुगतान के लिए चुनी गई पद्धति के अनुसार, जब तक वार्षिकीग्राही जीवित है तब तक वार्षिकी के भुगतान बकाया राशि के रूप में किये जाएंगे।	<b>20 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के दौरान वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर:</b> वार्षिकी नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) को गारंटीकृत अवधि की समाप्ति तक देय होगी। इस गारंटीकृत अवधि की समाप्ति पर वार्षिकी के भुगतानों का तत्काल समापन होगा और पॉलिसी समाप्त होगी।  <b>गारंटीकृत अवधि के बाद वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर:</b> वार्षिकी के भुगतान का तत्काल समापन होगा और पॉलिसी समाप्त होगी।
F	तात्कालिक वार्षिकी क्रय मूल्य की वापसी के साथ जीवन भर के लिए	एकल जीवन	वार्षिकी के भुगतान के लिए चुनी गई पद्धति के अनुसार, जब तक वार्षिकीग्राही जीवित है तब तक वार्षिकी के भुगतान बकाया राशि के रूप में किये जाएंगे।	वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी के भुगतान का तत्काल समापन होगा। इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग ऊकी शर्त 3 में विनिर्दिष्ट रूप में वार्षिकीग्राही (वार्षिकीग्राहियों) द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) को क्रय मूल्य देय होगा।
G	तात्कालिक वार्षिकी 3% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज-दर से बढ़नेवाली जीवन भर के लिए	एकल जीवन	वार्षिकी के भुगतान की चुनी गई पद्धति के अनुसार, जब तक वार्षिकीग्राही जीवित है तब तक वार्षिकी के भुगतान बकाया राशि के रूप में किये जाएंगे। प्रत्येक संपूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज-दर से वार्षिकी के भुगतान में वृद्धि की जाएगी।	वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, कोई राशि देय नहीं होगी। वार्षिकी के भुगतान का तत्काल समापन होगा और पॉलिसी समाप्त होगी।
H	संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर द्वितीयक वार्षिकीग्राही को वार्षिकी के 50% के लिए प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए	संयुक्त जीवन	वार्षिकी के भुगतान की चुनी हुई पद्धति के अनुसार, जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/ या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है तब तक लागू वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा।	<b>प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर:</b> जब तक द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है तब तक उत्तरजीवी द्वितीयक वार्षिकीग्राही को वार्षिकी राशि का 50% देय होगा। बाद में द्वितीयक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर वार्षिकी के भुगतानों का समापन होगा और पॉलिसी समाप्त होगी। <b>यदि द्वितीयक वार्षिकीग्राही की मृत्यु प्राथमिक वार्षिकीग्राही से पहले हो तो:</b> वार्षिकी के भुगतान लगातार किये जाएंगे तथा प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर उन भुगतानों का समापन होगा और पॉलिसी समाप्त होगी।
I	संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी जब तक कोई भी एक वार्षिकीग्राही जीवित रहता है तब तक देय वार्षिकी के 100% के लिए प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए	संयुक्त जीवन	जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित है तब तक लागू वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा।	<b>पहली मृत्यु (बीमा-रक्षा प्राप्त दोनों में से किसी भी व्यक्ति की) होने पर:</b> जब तक वार्षिकीग्राहियों में से कोई भी एक जीवित रहता है तब तक वार्षिकी राशि के 100% का लगातार भुगतान किया जाएगा। <b>अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर:</b> वार्षिकी के भुगतानों का तत्काल समापन होगा और पॉलिसी समाप्त होगी।
J	तात्कालिक वार्षिकी जब तक वार्षिकीग्राहियों में से एक जीवित रहता है तब तक देय वार्षिकी के 100% के लिए प्रावधान के साथ जीवन भर के लिए संयुक्त जीवन	संयुक्त जीवन	जब तक प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही जीवित रहता है तब तक वार्षिकी के भुगतान के लिए चुनी गई पद्धति के अनुसार बकाया राशि के रूप में लागू वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा।	<b>पहली मृत्यु (बीमा-रक्षा प्राप्त दोनों में से किसी भी व्यक्ति की) होने पर:</b> जब तक कोई भी वार्षिकीग्राही जीवित रहता है, तब तक वार्षिकी राशि के 100% का लगातार भुगतान किया जाएगा। <b>अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर:</b> वार्षिकी के भुगतानों का तत्काल समापन होगा। इस पॉलिसी दस्तावेज के भाग ऊकी शर्त 3 में विनिर्दिष्ट रूप में प्राथमिक वार्षिकीग्राही द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) को क्रय मूल्य देय होगा।

D	Immediate Annuity with guaranteed period of 15 years and life thereafter.	Single Life	Annuity payments will be made in arrears for as long as Annuitant is alive, as per the chosen mode of annuity payment.	<b>On death of the Annuitant during the guaranteed period of 15 years:</b> The annuity shall be payable to the nominee(s) till the expiry of the guaranteed period. Upon the expiry of this Guaranteed Period, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.  <b>On death of the Annuitant after the guaranteed period:</b> The annuity payment shall cease immediately and the policy will terminate.
E	Immediate Annuity with guaranteed period of 20 years and life thereafter.	Single Life	Annuity payments will be made in arrears for as long as Annuitant is alive, as per the chosen mode of annuity payment	<b>On death of the Annuitant during the guaranteed period of 20 years:</b> The annuity shall be payable to the nominee(s) till the expiry of the guaranteed period. Upon the expiry of this Guaranteed Period, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.  <b>On death of the Annuitant after the guaranteed period:</b> The annuity payment shall cease immediately and the policy will terminate.
F	Immediate Annuity for life with return of purchase price.	Single Life	Annuity payments will be made in arrears for as long as Annuitant is alive, as per the chosen mode of annuity payment.	On death of the Annuitant, the annuity payment shall cease immediately. The Purchase Price shall be payable to nominee(s) as per the option exercised by the Annuitant(s) as specified in Condition 3 of Part D of this policy document.
G	Immediate Annuity for life increasing at a simple rate of 3% p.a.	Single Life	Annuity payments will be made in arrears for as long as Annuitant is alive, as per the chosen mode of annuity payment. The annuity payment will be increased by a simple rate of 3% per annum for each completed policy year.	On death of the Annuitant, nothing shall be payable. The annuity payment shall cease immediately and the policy will terminate.
H	Joint Life Immediate Annuity for life with a provision for 50% of the annuity to the Secondary Annuitant on death of the Primary Annuitant.	Joint Life	The applicable annuity will be paid in arrears for as long as the Primary Annuitant and/or Secondary Annuitant is alive, as per the chosen mode of annuity payment.	<b>On death of the Primary Annuitant:</b> 50% of the annuity amount shall be payable to the surviving Secondary Annuitant as long as the Secondary Annuitant is alive. The annuity payments will cease on the subsequent death of the Secondary Annuitant and the policy will terminate.  <b>If the Secondary Annuitant predeceases the Primary Annuitant:</b> The annuity payments shall continue to be paid and will cease upon the death of the Primary Annuitant and the policy will terminate.
I	Joint Life Immediate Annuity for life with a provision for 100% of the annuity payable as long as one of the Annuitant survives	Joint Life	The applicable annuity will be paid in arrears for as long as the Primary Annuitant and/or Secondary Annuitant is alive, as per the chosen mode of annuity payment.	<b>On first death (of either of the covered lives):</b> 100% of the annuity amount shall continue to be paid as long as one of the Annuitant is alive.  <b>On death of the last survivor:</b> The annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.
J	Joint Life Immediate Annuity for life with a provision for 100% of the annuity payable as long as one of the Annuitant survives and return of Purchase Price on death of last survivor	Joint Life	The applicable annuity will be paid in arrears for as long as the Primary Annuitant and/or Secondary Annuitant is alive, as per the chosen mode of annuity payment.	<b>On first death (of either of the covered lives):</b> 100% of the annuity amount shall continue to be paid as long as one of the Annuitant is alive.  <b>On death of the last survivor:</b> The annuity payments will cease immediately. The Purchase Price shall be payable to the Nominee(s) as per the option exercised by the Primary Annuitant as specified in Condition 3 of Part D of this policy document.

पॉलिसी के अंतर्गत उसके द्वारा वास्तव में किये गये पॉलिसी के मूल-पाठ में उल्लिखित या बीमाकर्ता के अभिलेखों में पंजीकृत नामित व्यक्ति को किये गये किसी भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

- बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत कराये जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए वह शुल्क भी ले सकता है।
- धारा 38 के अनुसार पॉलिसी में किये गये किसी अंतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वतः निरस्त हो जाएगा:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जोकि समनुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम को वहन करता हो, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की जमानत पर उसके अभ्यर्पण मूल्य या पुनः समनुदेशन के अंतर्गत हो, ऋण की चुकौती करने पर नामांकन निरस्त नहीं होगा, लेकिन नामिती के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जहाँ तक पॉलिसी में बीमाकर्ता का हित हो।

आगे शर्त यह होगी कि पॉलिसीधारक को अंतरिती या समनुदेशिती के द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, चाहे वह पूर्णतः हो या अंशतः, नामांकन निरस्त नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा जोकि पॉलिसी में अंतरिती या समनुदेशिती, जैसी स्थिति हो, का हित होगा।

शर्त यह भी होगी कि नामांकन जोकि अंतरण या समनुदेशन के परिणामस्वरूप अपने आप निरस्त हुआ हो, वही नामांकन बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत को छोड़कर अन्यथा पॉलिसीधारक के पक्ष में समनुदेशिती द्वारा पुनः समनुदेशन या अंतरिती द्वारा ऋण की चुकौती पर पुनः अंतरण से स्वतः पुनः प्रचलित हो जाएगा।

- जहाँ भुगतान हेतु पॉलिसी की परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति एक से अधिक हैं या सभी नामित व्यक्ति भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहाँ पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को देय होगी।
- जहाँ एक या उससे अधिक नामित व्यक्ति हों तथा एक या एक से अधिक नामित व्यक्ति उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को देय होगी।
- इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन, जहाँ बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता / पिता या अपनी पत्नी/ अपने पति या अपने बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, वहाँ ऐसे नामिती उप-धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा उसको/ उनको देय राशि के लिए हितकारी तौर पर हकदार होंगे, जब तक यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी के धारक ने पॉलिसी में अपने स्वत्वाधिकार के स्वरूप के अनुसार नामांकित व्यक्ति को ऐसा कोई हितकारी हक प्रदान नहीं किया है।
- उपर्युक्त के अधीन, जहाँ नामिती या अगर एक से अधिक नामित व्यक्ति हों जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन को बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है/ मर जाते हैं तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या इस प्रकार मरनेवाले नामिती या नामितियों (जैसी भी स्थिति हो) के हिस्से को निर्दिष्ट करनेवाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि नामिती या नामितियों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को देय होगी तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए हितकारी तौर पर हकदार होंगे।
- उप-धाराओं (7) और (8) में निहित कोई भी बात जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आगम राशि से अदा किये जाने के किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या बाधित नहीं करेगी।
- उप-धाराओं (7) और (8) के उपबंध बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होनेवाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।
- जहाँ पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद होती है, लेकिन पॉलिसी की आगम राशि और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण नहीं किया गया है, तो ऐसे मामले में उसके द्वारा नामित व्यक्ति उसकी पॉलिसी की आगम राशि और हितलाभ को पाने का हकदार होगा।
- इस धारा के उपबंध जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे जिस पर विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 लागू होती हो, या कभी लागू की गई हो।

बशर्ते कि जहाँ बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने से पहले अथवा बाद में अपने जीवन का बीमा करनेवाले व्यक्ति की पत्नी और बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में सुस्पष्ट रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, वहाँ कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या पॉलिसी पर लागू की गई नहीं मानी जाएगी।

may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bonafide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

- The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.
- A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination: Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

- Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.
- Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.
- Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.
- Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.
- Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.
- The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.
- Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceed and benefit of his policy.
- The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied: Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.



अंतर की वसूली वार्षिकीग्राही से की जाएगी अथवा उसका समायोजन अनुवर्ती वार्षिकी भुगतानों से किया जाएगा।

- (ii) यदि सुधारित आयु ऐसी है कि वह इस पॉलिसी के अंतर्गत वार्षिकीग्राही को बीमा करने के लिए अयोग्य बनाती है, तो यह पॉलिसी निरस्त की जाएगी तथा स्टाम्प शुल्क, करों और प्रदत्त वार्षिकी (यदि कोई हो) के प्रभारों की कटौती करने के बाद प्रदत्त क्रय मूल्य लौटाया जा सकता है।

## 2. कुछ स्थितियों में जब्ती:

यदि इसमें निहित अथवा इस पर पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा यदि इसके बाद यह पाया जाता है कि इसमें उल्लिखित प्रस्ताव और घोषणा में कोई असत्य अथवा गलत वक्तव्य निहित है अथवा इसमें उल्लिखित विवरणों में सही तौर पर और उचित रूप में वक्तव्य नहीं दिये गये हैं अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को दबाकर रखा गया है, तो उस स्थिति में और ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी अमान्य होगी तथा इस पॉलिसी के आधार पर किसी भी लाभ के लिए सभी दावे समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के उपबंधों के अधीन होंगे।

## 3. मृत्यु-लाभ के भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प:

वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत जहाँ मृत्यु पर लाभ देय है अर्थात् तात्कालिक वार्षिकी के अंतर्गत विकल्प F और विकल्प J तथा आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत दोनों विकल्पों में मृत्यु पर लाभ देय है, वहाँ वार्षिकीग्राही (वार्षिकग्राहियों) को नामित व्यक्ति(व्यक्तियों) को मृत्यु-लाभ का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित में से एक विकल्प का चयन करना होगा। तब मृत्यु दावा राशि वार्षिकीग्राही(वार्षिकीग्राहियों) द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार नामित व्यक्ति को अदा की जाएगी तथा नामित व्यक्ति(यों) द्वारा किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। प्रस्ताव के स्तर पर वार्षिकीग्राही (वार्षिकीग्राहियों) द्वारा इस विकल्प का प्रयोग करना होगा। तथापि, वार्षिकीग्राही (वार्षिकीग्राहियों) द्वारा पॉलिसी के प्रचलन में रहते समय अपने जीवन के दौरान इस विकल्प को बाद में आशोधित किया जा सकता है।

### • एकमुश्त मृत्यु-लाभ:

इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय लाभ की राशि नामित व्यक्ति(यों) को एकमुश्त देय होगी।

### • मृत्यु-लाभ का वार्षिकीकरण:

इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय लाभ की राशि का उपयोग वार्षिकीग्राही की मृत्यु की तारीख से प्रभावी रूप में नामित व्यक्ति(यों) के लिए निगम से तात्कालिक वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा। मृत्यु दावे की स्वीकृति पर नामित व्यक्ति(यों) को देय वार्षिकी की राशि नामित व्यक्ति(यों) की आयु और वार्षिकीग्राही (संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में अंतिम उत्तरजीवी) की मृत्यु की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रचलित तात्कालिक वार्षिकी दरों पर आधारित होगी। इस विकल्प का चयन मृत्यु पर देय लाभ की राशि पूर्णतः अथवा अंशतः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, प्रत्येक नामित व्यक्ति(यों) के लिए वार्षिकी के भुगतान उस समय उपलब्ध वार्षिकी प्लान की पात्रता की शर्तों तथा वार्षिकियों के लिए न्यूनतम सीमाओं के संबंध में उस समय प्रचलित विनियामक उपबंधों के अधीन होंगे। वर्तमान में लागू विनियम आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015 है। यदि उस समय उपलब्ध वार्षिकी प्लान की पात्रता शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं अथवा मृत्यु पर देय लाभ की राशि वार्षिकी की न्यूनतम राशि खरीदने के लिए अपर्याप्त है, तो उपर्युक्त राशि का भुगतान नामित व्यक्ति(यों) को एकमुश्त रूप में किया जाएगा। नामित व्यक्ति को देय कोई भी लाभ बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार होगा।

### • किस्तों में :

इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय लाभ की राशि एकमुश्त राशि के बदले 5 अथवा 10 अथवा 15 वर्ष की चुनी हुई अवधि में किस्तों में प्राप्त की जा सकती है। इस विकल्प का प्रयोग पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु-लाभ को पूर्णतः अथवा अंशतः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। वार्षिकीग्राही द्वारा विकल्प दी गई राशि (अर्थात् निवल दावा राशि) निरपेक्ष मूल्य (अब्सॉल्यूट वैल्यू) में अथवा देय कुल दावा आगम राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान विकल्प दिये गये रूप में वार्षिक अथवा छमाही अथवा तिमाही अथवा मासिक अंतरालों पर अग्रिम रूप से, भुगतानों की विभिन्न पद्धतियों के लिए न्यूनतम किस्त की राशि निम्नानुसार होते हुए किया जाएगा:

किस्त के भुगतान की पद्धति	किस्त की न्यूनतम राशि
मासिक	₹. 5000/-
तिमाही	₹. 15000/-
छमाही	₹. 25000/-
वार्षिक	₹. 50000/-

यदि निवल दावा राशि वार्षिकीग्राही/ प्राथमिक वार्षिकीग्राही द्वारा प्रयुक्त विकल्प के अनुसार किस्त की न्यूनतम राशि प्रदान करने के लिए अपेक्षित राशि से कम है, तो दावे की आगम राशि का भुगतान केवल एकमुश्त ही किया जाएगा।

out of incorrect annuities paid in the past along with interest shall be collected from the Annuitant or would be adjusted from the following Annuity payments.

- (ii) If the correct age is such as would have made the Annuitant uninsurable under this Policy, then this policy shall be cancelled and the Purchase Price paid may be refunded after deducting the charges for stamp duty, taxes and Annuity paid (if any)

## 2. Forfeiture in certain events :

In case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened, or in case it shall hereafter appear that any untrue or incorrect averment is contained in the proposal and declaration herein mentioned, or in the statements referred to therein, have not been truly and fairly stated or that any material information has been withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

## 3. Options available for payment of Death Benefit:

Under the annuity options where there is benefit payable on death i.e. Option F and Option J under Immediate Annuity and both the Options under Deferred Annuity, the Annuitant(s) shall have to choose one of the following options for the payment of the death benefit to the nominee(s). The death claim amount shall then be paid to the nominee as per the option exercised by the Annuitant(s) and no alteration whatsoever shall be allowed to be made by the nominee(s). This option has to be exercised by Annuitant(s) at the proposal stage. However, this option can be subsequently modified by Annuitant(s) during his/her life while in currency of the policy.

### • Lumpsum Death Benefit:

Under this option the benefit amount payable on death shall be payable to the nominee(s) in lumpsum.

### • Annuitisation of Death Benefit:

Under this option the benefit amount payable on death shall be utilized for purchasing an Immediate Annuity from the Corporation for nominee(s) effective from the date of death of the annuitant. The annuity amount payable to the nominee(s) on the admission of death claim shall be based on the age of nominee(s) and immediate annuity rates prevailing as on the date of death of Annuitant (last survivor in case of Joint Life Annuity). This option can be opted for full or part of the benefit amount payable on death. However, the annuity payments for each nominee(s) shall be subject to the eligibility conditions of the annuity plan available at that time and then prevailing Regulatory provisions on the minimum limits for annuities. Currently applicable regulation is IRDAI (Minimum limits for Annuities and other Benefits) Regulations, 2015. In case the eligibility conditions of the annuity plan available at that time are not met or the benefit amount payable on death is insufficient to purchase the minimum amount of annuity, then the said amount shall be paid as a lump sum to the nominee(s). Any benefits payable to the nominee shall be as per Section 39 of Insurance Act, 1938.

### • In Installment:

Under this option the benefit amount payable on death can be received in installments over the chosen period of 5 or 10 or 15 years instead of lumpsum amount. This option can be exercised for full or part of the Death Benefit payable under the policy. The amount opted by the Annuitant (i.e. net claim amount) can be either in absolute value or as a percentage of the total claim proceeds payable.

The installments shall be paid in advance at yearly or half-yearly or quarterly or monthly intervals, as opted for, subject to minimum installment amount for different modes of payments being as under:

Mode of Installment payment	Minimum installment amount
Monthly	Rs. 5000/-
Quarterly	Rs. 15000/-
Half-Yearly	Rs. 25000/-
Yearly	Rs. 50000/-

If the Net Claim Amount is less than the required amount to provide the minimum installment amount as per the option exercised by the Annuitant(s), the claim proceed shall be paid in lumpsum only.

The interest rate applicable for arriving at Installment

## आईआरडीएआई की:

यदि ग्राहक उत्तर से संतुष्ट नहीं है अथवा हमसे 15 दिन के अंदर उत्तर प्राप्त नहीं करता, तो ग्राहक निम्नलिखित किसी भी विधि से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के शिकायत कक्ष से संपर्क कर सकता है:

- टोल-फ्री नंबर 155255 / 18004254732 पर (अर्थात् आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेंटर) को कॉल करने के द्वारा
- [complaintsirda.gov.in](http://complaintsirda.gov.in) को ई-मेल भेजने के द्वारा
- <http://www.igms.irda.gov.in> पर शिकायत ऑनलाइन पंजीकृत करने के द्वारा
- कूरियर / पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने के लिए पता:
- उपभोक्ता कार्य विभाग (सीएडी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), सर्वे सं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबोली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।
- फैक्स द्वारा शिकायत 040-66789768 को भेजने के द्वारा।

## लोकपाल की:

दावा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं जो ग्राहकों को कम लागत पर र्वरित विवाचन उपलब्ध कराते हैं।

यदि आपके पास कोई शिकायत / परिवाद है, तो आप शिकायत निवारण अधिकारी / लोकपाल से संपर्क कर सकते/ सकती हैं, जिनका पता निम्नानुसार है:

## शाखा कार्यालय का पता और ई-मेल आईडी:

शिकायत निवारण अधिकारी का पता:

बीमा लोकपाल का पता और संपर्क का विवरण:

टिप्पणी: इन शब्दों और शर्तों एवं विशेष उपबंधों/ शर्तों के अर्थनिर्णय के संबंध में विवाद होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ विधिमान्य होगा।

आपसे अनुरोध है कि आप इस पॉलिसी की जाँच कर लें, और यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो सुधार करने के लिए यह तत्काल वापस भेजें।

प्राधिकृत विधि अधिकारी	प्राधिकृत बीमांकक	अध्यक्ष

## अनुबंध - I

### समनुदेशन बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार

- बीमा पॉलिसी का अंतरण अथवा समनुदेशन, पूर्णतः या अंशतः, चाहे प्रतिफल के साथ हो या उसके बिना, केवल पॉलिसी पर ही एक पृष्ठांकन द्वारा अथवा एक अलग लिखत के द्वारा, दोनों में से किसी भी स्थिति में अंतरणकर्ता अथवा समनुदेशक द्वारा अथवा उसके विधिवत् प्राधिकृत एजेंट द्वारा हस्तक्षरित एवं कम से कम एक साक्षी के द्वारा अनुप्रमाणित, विशिष्ट रूप से अंतरण अथवा समनुदेशन का तथ्य और इसके लिए कारण, समनुदेशिती के पूर्ववृत्तों और उन शर्तों, जिनपर समनुदेशन किया गया है, को अभिव्यक्त करते हुए किया जा सकता है।
- बीमाकर्ता उक्त अंतरण अथवा समनुदेशन को स्वीकार कर सकता है अथवा उप-धारा (1) के अंतर्गत किये गये किसी पृष्ठांकन पर कार्य करने से अस्वीकार कर सकता है, जहाँ यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो कि ऐसा अंतरण या समनुदेशन वास्तविक नहीं है अथवा पॉलिसीधारक के हित में अथवा लोक हित में नहीं है अथवा बीमा पॉलिसी का व्यापार करने के प्रयोजन के लिए है।
- बीमाकर्ता पृष्ठांकन पर कार्य करने से इनकार करने से पहले ऐसे अस्वीकरण के लिए कारण लिखित में दर्ज करेगा तथा यह पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण अथवा समनुदेशन की सूचना देने की तारीख से तीस दिन से अनाधिक अवधि में पॉलिसीधारक को सूचित करेगा।
- ऐसे अंतरण अथवा समनुदेशन पर कार्य करने से इनकार करने के बीमाकर्ता के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसे अस्वीकरण के लिए कारणों से युक्त सूचना बीमाकर्ता से प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण को दावा प्रस्तुत कर सकता है।
- उप-धारा (2) में निहित उपबंधों के अधीन, अंतरण अथवा समनुदेशन पूर्ण होगा तथा ऐसे पृष्ठांकन या विधिवत् साक्ष्यांकित लिखत पर प्रभावी होगा, केवल उस स्थिति को छोड़कर जहाँ अंतरण या समनुदेशन बीमाकर्ता के पक्ष में है, बीमाकर्ता के विरुद्ध परिचालित नहीं होगा तथा यह अंतरिती या समनुदेशिती या उसके विधिमान्य प्रतिनिधि को ऐसी पॉलिसी की राशि के लिए कानूनी वाद चलाने या उनके द्वारा धनराशि को सुरक्षित करने का अधिकार नहीं देता, जब तक अंतरण या समनुदेशन का लिखित में नोटिस और उक्त पृष्ठांकन या लिखत या उसकी प्रति अंतरणकर्ता तथा अंतरिती दोनों या उनके विधिवत् अधिकृत एजेंटों द्वारा सत्य होने के लिए प्रमाणित किया गया हो, बीमाकर्ता को सौंपा नहीं जाता।

बशर्ते कि जहाँ बीमाकर्ता भारत में एक या उससे अधिक व्यवसाय के स्थान रखता है, ऐसी नोटिस केवल एक ही स्थान पर वितरित की जाएगी जहाँ पॉलिसी से संबंधित सेवा प्रदान की जा रही है।

## Of IRDAI:

In case the customer is not satisfied with the response or does not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to [complaints@irda.gov.in](mailto:complaints@irda.gov.in)
- Register the complaint online at <http://www.igms.irda.gov.in>
- Address for sending the complaint through courier / letter:
- Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Survey no. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500 032, Telangana.
- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

## Of Ombudsman:

For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

## Address and email id of Branch Office:

## Address of Grievance Redressal Officer

## Address and contact details of Insurance Ombudsman

Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

**YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.**

## Annexure - I

### Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

- A transfer or assignment of a policy of insurance, wholly or in part, whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itself or by a separate instrument, signed in either case by the transferor or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignment is made.
  - An insurer may, accept the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section(1), where it has sufficient reason to believe that such transfer or assignment is not bonafide or is not in the interest of the policyholder or in public interest or is for the purpose of trading of insurance policy.
  - The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policyholder not later than thirty days from the date of the policy-holder giving notice of such transfer or assignment.
  - Any person aggrieved by the decision of an insurer to decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thirty days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefer a claim to the Authority.
  - Subject to the provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execution of such endorsement or instrument duly attested but except, where the transfer or assignment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrument itself or a copy thereof certified to be correct by both transferor and transferee or their duly authorised agents have been delivered to the insurer:
- Provided that where the insurer maintains one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.





#### आस्थगन अवधि के दौरान आस्थगित वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत:

पॉलिसी ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगा:

- ऋण की अधिकतम राशि जो पॉलिसी के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है, ऐसी होगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज की राशि वार्षिक वार्षिकी राशि के 50% से अधिक नहीं होगी जो अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 80% के अधीन पॉलिसी के अंतर्गत आस्थगन अवधि के बाद देय होगी।
- आस्थगन अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज, ऋण लेते समय निगम द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली दर पर निगम को छमाही चक्रवृद्धि के आधार पर अदा किया जाएगा। ब्याज का पहला भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगाँठ पर अथवा अगली पॉलिसी वर्षगाँठ से छह महीने पहले की तारीख को, इनमें से जो भी उस तारीख के तुरंत बाद आती हो जिस तारीख को ऋण मंजूर किया गया हो. किया जाना चाहिए तथा उसके बाद प्रत्येक छमाही में किया जाना चाहिए।
- उस स्थिति में यदि ऋण की चुकौती आस्थगन अवधि के दौरान नहीं की जाती और यदि आस्थगन अवधि के अंत की स्थिति के अनुसार ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं है, तो ऋण पर ब्याज की वसूली आस्थगन अवधि के बाद देय वार्षिकी की राशि में से की जाएगी।
- उस स्थिति में यदि ऋण की चुकौती आस्थगन अवधि के दौरान नहीं की जाती और यदि आस्थगन अवधि के अंत की स्थिति के अनुसार ब्याज के भुगतान में चूक की गई है तो अभ्यर्पण मूल्य और ऋण की बकाया राशि का अंतर ब्याज, यदि कोई हो, के साथ प्राथमिक वार्षिकीग्राही / द्वितीयक वार्षिकीग्राही को देय होगा और पॉलिसी समाप्त की जाएगी।
- आस्थगन अवधि के दौरान, नियत तारीखों पर ब्याज का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में और जब ब्याज के साथ बकाया ऋण की राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाती है, तब निगम को पॉलिसी का समपहरण किया जाएगा। अभ्यर्पण मूल्य और ऋण की बकाया राशि के बीच का अंतर ब्याज, यदि कोई हो, के साथ वार्षिकीग्राही / द्वितीयक वार्षिकीग्राही को देय होगा और पॉलिसी समाप्त की जाएगी।

#### तात्कालिक वार्षिकी और आस्थगित वार्षिकी (आस्थगन अवधि के बाद) के अंतर्गत:

- पॉलिसी के अंतर्गत ऋण की जो अधिकतम राशि प्रदान की जा सकती है, वह ऐसी होगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज की राशि अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 80% के अधीन पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक वार्षिकी की राशि के 50% से अधिक नहीं होगी।
- ऋण की राशि की वसूली पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिकी राशि से की जाएगी। ऋण पर ब्याज पॉलिसी के अंतर्गत वार्षिकी के भुगतान की बारंबारता के अनुसार उपचित होगा तथा वह वार्षिकी की नियत तारीख को देय होगा। बकाया ऋण की वसूली निर्गम के समय दावा आगम राशि से की जाएगी।

#### **6. फ्री-लुक अवधि:**

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन (30 दिन यदि पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी गई हो) की फ्री-लुक अवधि के दौरान यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी की शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो वह आपत्तियों का कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी लौटा सकता/सकती है। पॉलिसी वापस प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को निरस्त करेगा तथा स्टाम्प शुल्क और प्रदत्त वार्षिकी, यदि कोई हो, के लिए प्रभारों की कटौती करने के बाद अदा किया गया क्रय मूल्य वापस करेगा।

#### **7. एनपीएस अभिदाता द्वारा तात्कालिक वार्षिकी लेने का विकल्प:**

तात्कालिक वार्षिकी के अंतर्गत सभी वार्षिकी विकल्प एनपीएस अभिदाता के लिए उपलब्ध होंगे।

यदि सरकारी क्षेत्र का एनपीएस अभिदाता एक डिफ़ाल्ट विकल्प के रूप में यह प्लान खरीदता है, तो अभिदाता को तात्कालिक वार्षिकी के अंतर्गत विकल्प J उपलब्ध होगा जिसकी पत्नी/पति खरीद की तारीख को जीवित है। अभिदाता की पत्नी/पति के न होने की स्थिति में उसके तात्कालिक वार्षिकी के अंतर्गत विकल्प F उपलब्ध होगा। उसके बाद अभिदाता और उसकी पत्नी/ पति की मृत्यु होने पर क्रय मूल्य का उपयोग जीवित आश्रित माता/ पिता के जीवन पर तात्कालिक वार्षिकी का विकल्प ऋ अथवा ग खरीदने के लिए किया जाएगा जो उस समय उपलब्ध वार्षिकी प्लान की पात्रता शर्तों के अधीन होगा।

इस विकल्प के अंतर्गत लागू डिफ़ाल्ट विकल्प समय-समय पर यथासंशोधित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निर्गम और आहरण) विनियम, 2015 के अनुसार होगा।

#### **8. अगर यह पॉलिसी क्युआरओपीएस (अर्हकारी मान्यताप्राप्त विदेशी पेंशन योजना) के रूप में यूके कर मुक्त आस्तियों के अंतरण के माध्यम से खरीदी**

#### Under Deferred Annuity Options, during the deferment period:

The policy loan will be available subject to the following terms and conditions:

- The maximum amount of loan that can be granted under the policy shall be such that the effective annual interest amount payable on loan does not exceed 50% of the annual annuity amount that shall be payable after the deferment period under the policy subject to maximum of 80% of Surrender Value.
- Interest on Loan during the deferment period shall be paid on compounding half-yearly basis to the Corporation at the rate to be specified by the Corporation at the time of taking loan. The first payment of interest is to be made on the next policy anniversary or on the date six month before the next policy anniversary which ever immediately follows the date on which the loan is sanctioned and every half year thereafter.
- In case if the loan is not repaid during the deferment period and if there is no default in the interest payment as of the end of deferment period, then Interest on the loan shall be recovered from annuity amount payable after the deferment period.
- In case if the loan is not repaid during the deferment period and if there is a default in the interest payment as of the end of the deferment period, the difference of surrender value and the loan outstanding amount along with interest, if any, shall be payable to the Primary Annuitant / Secondary Annuitant and the policy shall be terminated.
- During the deferment period, in the event of failure of payment of interest payment on the due dates and when the outstanding loan amount along with interest is to exceed the surrender value, the policy shall be forfeited to the Corporation. The difference of surrender value and the loan outstanding amount along with interest, if any, shall be payable to the Annuitant / Secondary Annuitant and the policy shall be terminated.

#### Under Immediate Annuity and Deferred Annuity (after deferment period):

- The maximum amount of loan that can be granted under the policy shall be such that the effective annual interest amount payable on loan does not exceed 50% of the annual annuity amount payable under the policysubject to maximum of 80% of Surrender Value.
- Loan interest will be recovered from annuity amount payable under the policy. The Loan interest will accrue as per the frequency of annuity payment under the policy and it will be due on the due date of annuity. The loan outstanding shall be recovered from the claim proceeds at the time of exit.

#### **6. Free Look period:**

During the Free Look period of 15 days (30 days if this policy is purchased online) from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder, if the Policyholder is not satisfied with the Terms and Conditions of the policy, he/she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the Policy and return the Purchase Price paid after deducting the charges for stamp duty and annuity paid, if any. However, if this policy has been purchased as QROPS as detailed in Condition 8 below the proceeds from cancellation shall only be transferred back to the fund house from where the money was received.

#### **7. Option to take Immediate Annuity by NPS subscriber:**

All the annuity options under Immediate Annuity shall be available to NPS subscriber.

If a Government Sector NPS subscriber purchases this plan as a default option, then Option J under Immediate Annuity shall be available to the subscriber whose spouse is surviving on the date of purchase. Option F under Immediate Annuity shall be available to the subscriber in the absence of his or her spouse. Thereafter on the death of subscriber and his or her spouse, the purchase price shall be used to purchase immediate annuity option F or J on the life of living dependent mother/father and shall be subject to the eligibility conditions of the annuity plan available at that time.

The default option applicable under this option shall be as per Pension fund Regulatory and Development Authority (Exits and withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015, as amended from time to time.

#### **8. If this policy is purchased as QROPS (Qualifying Recognized Overseas Pension Scheme), through**

जाती है तो उस पर एचएमआरसी (हर मेजस्टी राजस्व एवं सीमा शुल्क) द्वारा निर्धारित नियम और शर्तें लागू होंगी।

यह प्लान यूके कर मुक्त आस्तियों के अंतरण के माध्यम से क्युआरओपीएस के रूप में भी उपलब्ध है। ऐसे मामलों में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- वार्षिकी के भुगतान के लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष होगी (अर्थात् तात्कालिक वार्षिकी के अंतर्गत प्रवेश पर न्यूनतम आयु 55 वर्ष होगी तथा आस्थगित वार्षिकी के अंतर्गत न्यूनतम निहित करनेवाली आयु 55 वर्ष होगी)।
- फ्री-लुक अवधि में केवल निरसन से प्राप्त आगम राशि ही वापस निधि गृह में अंतरित की जा सकती है जहाँ से धनराशि प्राप्त की गई हो।
- विदेशी अंतरण प्रभार विदेशी अंतरण (हर मेजस्टी रेविन्यू एण्ड कस्टम्स (एचएसआरसी) पॉलिसी पेपर दी ओवरसीज ट्रांसफर चार्ज गाइडेंस, पब्लिशड 8 मार्च 2017) के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाले लागू कर प्रभार की स्थिति में जिसके लिए योजना प्रबंधक अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम जिम्मेदार हो सकता है, निगम अंतरित निधि से केवल लागू कर प्रभार की सीमा तक ही राशि की कटौती करेगा तथा एचएमआरसी को विप्रेषित करेगा।
- एचएमआरसी की अन्य शर्तें भी समय-समय पर यथाप्रयोज्य रूप में लागू होंगी।

#### **9. विकलांग आश्रित (दिव्यांगन) के जीवन के लाभ के लिए प्लान लेने का विकल्प:**

यदि प्रस्तावक के पास विकलांग आश्रित (दिव्यांगन) है, तो नामित व्यक्ति/ वार्षिकीग्राही के रूप में दिव्यांगन के लाभ के लिए प्लान निम्नलिखित तरीकों से खरीदी जा सकती है:

- प्रस्तावक अपने जीवन पर एकल जीवन आस्थगित वार्षिकी (विकल्प 1) अथवा क्रय मूल्य की वापसी के साथ एकल जीवन तात्कालिक वार्षिकी (विकल्प F) खरीद सकता है। वार्षिकीग्राही (प्रस्तावक) की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु-लाभ का उपयोग अनिवार्यतः दिव्यांगन के जीवन पर, जो नामित व्यक्ति होगा, तात्कालिक वार्षिकी (वार्षिकीग्राही द्वारा चुने गये विकल्प के अनुसार) खरीदने के लिए किया जाएगा।

तथापि, दिव्यांगन को वार्षिकी का भुगतान न्यूनतम वार्षिकी भुगातान की किसी सीमा, न्यूनतम आयु और क्रय मूल्य मानदंड का विचार किये बिना किया जाएगा।

- प्रस्तावक द्वितीयक वार्षिकीग्राही के रूप में दिव्यांगन के साथ संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी (विकल्प I अथवा J) खरीद सकता है।

यथाप्रयोज्य तौर पर नामिती द्वितीय वार्षिकीग्राही के रूप में दिव्यांगन की पात्र "निर्ययता" (डिसेंबिलिटी) का निर्णय करने के लिए निर्ययता के अर्थ का संदर्भ लिया जाना चाहिए, जैसा कि उसे निः शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) तथा इसमें "स्वपरायणता" (ऑटिज्म), "प्रमस्तिष्क घात" (सेरिब्रल पालिसी), और "बहुनिःशक्तता" (मल्टिपल डिसेंबिलिटी) शामिल हैं जिनका उल्लेख राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिः शक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 2 के खंड (a), (c) और (h) में किया गया है की धारा 2 के खंड (i) में अथवा इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम में दिया गया है।

#### **भाग – E**

लागू नहीं है

#### **PART – E**

Not Applicable.

#### **भाग F: अन्य शर्तें**

#### **1. क) समनुदेशन:**

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार समनुदेशन लागू होगा। धारा 38 के वर्तमान उपबंध इस पॉलिसी दस्तावेज के अनुबंध-I में निहित हैं।

#### **ख) नामांकन:**

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार नामांकन आवश्यक है। धारा 39 के वर्तमान उपबंध इस पॉलिसी दस्तावेज के अनुबंध-II में निहित हैं।

नामांकन अथवा नामांकन में परिवर्तन पंजीकरण के लिए निगम के उस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहाँ पॉलिसी की सेवा प्रदान की जाती है। नामांकन को पंजीकृत करने में निगम किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता अथवा उसकी विधिमान्यता अथवा कानूनी प्रभाव के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता।

#### **2. आत्महत्या:**

**तात्कालिक वार्षिकी के लिए (केवल विकल्प F और J के लिए लागू):**

पॉलिसी अमान्य होगी यदि वार्षिकीग्राही/प्राथमिक वार्षिकीग्राही/द्वितीयक वार्षिकीग्राही (चाहे स्वस्थ हो अथवा विक्षिप्त) जोखिम के प्रारंभ की तारीख से 12 महीने के अंदर किसी भी समय आत्महत्या करता है, प्रदत्त क्रय मूल्य के 100% अथवा अभ्यर्पण मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, की राशि देय होगी। निगम किसी भी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा।

**transfer of UK tax relieved assets the following terms and conditions prescribed by HMRC (Her Majesty Revenue & Customs) shall apply:**

- Minimum age for annuity payment shall be 55 years of age (i.e. under Immediate annuity the minimum age at entry shall be 55 years and under Deferred annuity, the minimum vesting age shall be 55 years).
- If the policy is cancelled during the Free Look period, the proceeds from cancellation shall only be transferred back to the fund house from where the money was received.
- Overseas transfer charge - In the event of applicable tax charge arising as a result of an overseas transfer (Her Majesty Revenue & Customs (HMRC) - policy paper – The overseas transfer charge – guidance, published 8<sup>th</sup> March 2017) for which the Scheme Manager i.e. Life Insurance Corporation of India may become liable, Corporation shall deduct an amount only to the extent of the applicable tax charge from the Fund transferred and remit the same to HMRC.
- Other terms and conditions of HMRC shall also apply as applicable from time to time.

#### **9. Option to take the plan for the benefit of handicapped dependant (Divyangjan) life:**

If the Proposer has a handicapped dependant (Divyangjan), the plan can be purchased for the benefit of Divyangjan as nominee/annuitant, in following ways:

- The Proposer can purchase Single Life Deferred Annuity (Option 1) or Single Life Immediate Annuity with Return of Purchase Price (Option F) on own life. In case of death of the Annuitant (Proposer), the Death Benefit shall compulsorily be utilized to purchase Immediate Annuity (as per option chosen by the Annuitant) on the life of the Divyangjan who would be the nominee.

However, the annuity payment to Divyangjan shall be paid irrespective of any limit on minimum annuity payment, minimum age and Purchase Price criteria.

- The Proposer can purchase Joint Life Immediate Annuity (Option I or J) with Divyangjan as Secondary Annuitant.

For deciding eligible disability of Divyangjan as nominee/second annuitant as applicable reference is to be made to meaning of "Disability" as assigned to it in clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) [and includes "autism", "cerebral palsy", and "multiple disability" referred to in clauses (a), (c), and (h) of section 2 of the National Trust for welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999)] or any other applicable Act in this regard.

#### **PART-F: OTHER TERMS AND CONDITIONS**

#### **1. a) Assignment:**

Assignment as per section 38 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time shall be applicable. The current provisions of Section 38 are contained in Annexure-I of this policy document.

#### **b) Nomination:**

Nomination is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-II of this policy document.

The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

#### **2. Suicide:**

**For Immediate Annuity (applicable only for Option F and J):**

The policy shall be void if the Annuitant/Primary Annuitant/ Secondary Annuitant (whether sane or insane) commits suicide at any time within 12 months from the date of commencement of risk, an amount which is higher of 100% of the Purchase Price paid or Surrender Value shall be